

## भर्ती के सामान्य नियम और शर्तें:

### 1. आवेदन फार्म:

ए) उम्मीदवार को अपना आवेदन 2000/- रुपये (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 1000/- रुपये) अपेक्षित शुल्क के रूप में केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा किए जाने चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को कोई शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई के मामले में, उम्मीदवार विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र से निम्नलिखित टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- 011-46060645, 46060630 ।

नोट: जिन उम्मीदवारों ने शैक्षणिक पद हेतु विज्ञापन संख्या 01/2021 के लिए आवेदन किया था उन्हें नए सिरे से आवेदन करना आवश्यक है। उन्हें आवेदन शुल्क में छूट/नियमानुसार वापसी की जाएगी

बी) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: विधिवत भरे गए आवेदन (ऑन लाइन मोड द्वारा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 06.06.2022 है जिसे आवश्यकता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस आशय की अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट- [www.slbsrsv.ac.in](http://www.slbsrsv.ac.in) देखें।

### (सी) ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट:

जो उम्मीदवार पहले से ही सेवा में हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट उचित माध्यम से नियोक्ता प्रमाण पत्र और सतर्कता मंजूरी रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र (अनुलग्नक-ए) में, विधिवत भरा हुआ और वर्तमान नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे।

एक बंद लिफाफे में ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ सभी प्रकार से/ पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित संबंधित दस्तावेजों को "रजिस्ट्रार, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) बी-4, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016" को 13.06.2022 या उससे पहले भेजा जाना चाहिए। लिफाफे पर "..... के पद के लिए आवेदन" लिखा हो।

किसी भी डाक विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा न करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन और नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(डी) उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह पद के लिए पात्र है और उसमें मांगी गई वांछित जानकारी के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करें और तदनुसार दस्तावेज और अन्य संबंधित दस्तावेज भी जमा करें। किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने, किसी भी नकली दस्तावेज की आपूर्ति, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान करना या उम्मीदवार द्वारा कोई अन्य अवांछनीय कार्रवाई नियोक्ता के ध्यान में आने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द होने का कारण बन सकती है।

2. शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संस्कृत माध्यम (राजनीति विज्ञान को छोड़कर) में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। सभी विज्ञापित शैक्षणिक पदों में से 01 पद पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुसार "पीडब्ल्यूबीडी-ओएच श्रेणी" द्वारा भरा जाएगा।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, जाति और अन्य प्रशंसापत्र से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को भेजना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक का आवेदन पत्र, अंकतालिका सहित वांछित संलग्नकों द्वारा समर्थित नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी भ्रम से बचने के लिए उम्मीदवार को संलग्नक की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूबीडी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की श्रेणी / जाति, अधिनियम / आदेश जिसके तहत श्रेणी / जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के रूप में मान्यता दी गई है और उम्मीदवार गांव / कस्बे का निवासी है जैसा भी मामला हो, उसका यथास्थिति उल्लेख होना चाहिए।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) में एक घोषणा करें, कि वह ओबीसी के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तिथि पर क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तब तक इस पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि को महत्वपूर्ण तिथि माना जाएगा।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (Res) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार भारत के, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 के अनुबंध-I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा: - (i) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी /कलेक्टर/उपायुक्त/अपर' उपायुक्त/प्रथम श्रेणी का वजीफा 3 मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और (iv) उप-मंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहाँ उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
6. (i) विश्वविद्यालय किसी भी कारण से विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।  
(ii) विश्वविद्यालय कोई कारण बताए बिना किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।  
(iii) विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- (iv) यदि किसी भी कारण से किसी पद (पदों) के लिए कोई विज्ञापन वापस ले लिया जाता है, तो उम्मीदवारों से लिया गया आवेदन शुल्क या कोई अन्य शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
7. (i) अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।  
(ii) 'किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार की उम्मीदवारी अयोग्य मानी जाएगी  
(iii) आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग फॉर्म पर आवेदन करना होगा
8. ऊपर उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त भी, विश्वविद्यालय के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार या किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2020 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम और समय-समय पर संशोधित उच्च शिक्षा, 2018 में मानकों के रखरखाव के उपायों और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और भारत सरकार के नियम/ यूजीसी के दिशानिर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपनाए जाते हैं।
9. विभिन्न श्रेणियों आदि के लिए लागू आरक्षण और लूट, यदि कोई हो, के संबंध में यूजीसी और भारत सरकार के नियमों के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
10. कर्मचारी समय-समय पर लागू पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भारत सरकार/यूजीसी नियमों द्वारा शासित होंगे।
11. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार अनुसूची के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है या प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी।
12. भर्ती के समय, विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के बीच एक सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास जमा की जानी चाहिए। इस तरह के सेवा समझौते पर लागू दरों के अनुसार विधिवत स्टाम्प लगाई जाएगी।
13. किसी भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट या भर्ती से संबंधित कोई अन्य संबंधित जानकारी केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट "[www.slbsrsv.ac.in](http://www.slbsrsv.ac.in)" पर पोस्ट की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ निरंतर संपर्क में रहना आवश्यक है।
14. भर्ती से संबंधित विस्तृत प्रावधानों के लिए, उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपायों, 2018 समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियमों के माध्यम से जाना होगा, जो यूजीसी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं: [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in).
15. विज्ञापन संख्या 02/2022 में टंकण त्रुटि/विसंगति, यदि कोई हो, को नियमानुसार सुधारा जाएगा।
16. किसी भी उम्मीदवार की किसी भी शिकायत के मामले में, उम्मीदवार पर्याप्त रूप से अग्रिम समय में भर्ती से संबंधित निवारण के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव से लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं।
17. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: किसी भी विवाद के मामले में, न्यायनिर्णयन के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली होगा।